फा.सं. 22011/1/2010-एमपीआर
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 फरवरी, 2010

सेवा में,

1. राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव
2. सभी कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव/निदेशक(कृषि) सभी एसएसपी उत्पादक
3. फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया
4. सीएमडी, पीडीआईएल

विषय: **1-10-2009 से सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के लिए संशोधित नीति का कार्यान्वयन**

******

महोदया/महोदय,

मुझे 1-10-2009 से सिंगल सुपर फोस्फेट (एसएसपी) उर्वरक के लिए संशोधित नीति के संबंध में दिनांक 13-8-2009 के इस विभाग के पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

ऊपर उल्लिखित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि एसएसपी की केवल उन्हीं पात्र एसएसपी इकाइयों को 1 अक्तूबर, 2009 से एसएसपी की तदर्थ रियायत दी जाएगी जिनका वार्षिक क्षमता उपयोग कम से कम 50% है या एसएसपी का वार्षिक उत्पादन 40,000 मी.टन, जो भी कम हो। क्षमता उपयोग/उत्पादन को मान्यता देने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2009 तक की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। 1 अक्तूबर,2009 से एसएसपी की बिक्री के लिए तदर्थ राजसहायता के मानक हेतु यथानुपात आधार पर दिनांक 13-8-2009 की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के लिए इकाई के क्षमता उपयोग/उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, उर्वरक विभाग द्वारा उत्पादन मानक की गणना के लिए प्रभावी तारीख को मामला-दर-मामला आधार पर एसएसपी इकाइयों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार विचार किया जा सकता है।

3. विभाग में उपर्युक्त मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि माह-वार रियायत का लेखागत भुगतान का दावा करते समय कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखा-परीक्षक प्रपत्र 'क' और 'ग' में यह प्रमाणित कर सकता है कि इकाई ने नीति के अनुसार उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति सहित दिनांक 13-8-2009 (यथासंशोधित) की नीति की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है।

भवदीय,
वीरेन्द्र गुप्ता
(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष और फैक्स सं. 23387197

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (लेखा), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
2. लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग ।
3. उप सचिव(वित्त)/एएफए/अनुभाग अधिकारी(वित्त), उर्वरक विभाग।
4. अवर सचिव(रियायत विंग), सहायक निदेशक(लेखा) रियायत विंग
5. श्री शियोधर, मुख्य अभियंता, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट(I) लि0, पीडीआईएल भवन,ए-14, सेक्टर-1, नोएडा
6. एनआईसी, उर्वरक विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए

वीरेन्द्र गुप्ता
(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार